छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

शिकायत प्रकरण क्रमांक 738/2008

1. श्री नवेद अहमद, — *शिकायतकर्ता*
द्वारा— अयाज तनवीर, अधिवक्ता,
गौरीनगर वार्ड नंबर—12,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* — *अनावेदक*
कार्यालय शाखा प्रबंधक,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 12 फरवरी, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री नवेद अहमद द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव के समक्ष दिनांक 12.07.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण दिनांक 11.08.2008 को स्मरण भी कराया गया, किन्तु उसके बाद भी उन्हें सूचना प्रदान नहीं की गई, उससे असंतुष्ट होकर शिकायकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष यह शिकायत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और चूंकि शिकायतकर्ता अनुपस्थित रहे, अतः उनके विरूद्ध एक—तरफा कार्यवाही की गई तथा अनावेदक की ओर से जन सूचना अधिकारी एवं उनके अभिभाषक की सुनवाई की गई एवं पंजीयक कार्यालय के जन सूचना अधिकारी की भी सुनवाई की गई । अनावेदक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त सूचना का अधिकार अधिनियम उनके ऊपर लागू नहीं होता है और अपने पक्ष में उन्होंने पंजीयक सहकारी संस्थायें द्वारा जारी किया गया एक परिपत्र दिनांक 11.08.2008 प्रस्तुत किया है, जिसके साथ अतिरिक्त सचिव, विधि की नोटशीट दिनांक 26.07.2008 की छायाप्रति भी संलग्न की है । शिकायतकर्ता ने बैंक में कार्यरत एक भृत्य की उपस्थिति एवं वेतन के संबंध में जानकारी चाही थी । पंजीयक, सहकारिता ने अतिरिक्त सचिव, विधि की नोटशीट को संलग्न करके निर्देश जारी किये हैं, वह स्वयं अपने आप में भ्रामक है, क्योंकि अतिरिक्त सचिव, विधि ने निजी क्षेत्र के सहकारी बैंक के संबंध में नोटशीट लिखी है, जबकि पंजीयक, सहकारिता ने प्रबंधक, सहकारी बैंक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी बैंक को निर्देश जारी किये हैं और उनके द्वारा सभी शाखा प्रबंधकों को यह निर्देश जारी कर दिये हैं, इससे प्रदेश के सभी सहकारी बैंक में एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस परिपत्र का आधार लेकर सभी बैंकों द्वारा आवेदकों को सूचना का अधिकार के अन्तर्गत जानकारियॉ देने से इंकार किया जा रहा है । जिला सहकारी बैंकों को शासन

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

का अनुदान प्राप्त होता है और उन पर शासन का नियत्रंण भी कई मामलों में है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम–2(ज) के अन्तर्गत उन्हें भी लोक प्राधिकारी मान्य किया जावेगा और आवेदकों द्वारा मॉगी गई सूचना भी प्रदान करना आवश्यक होगा, यह मान्य किया जाता है । अतः पंजीयक, सहकारिता, छत्तीसगढ़ को यह निर्देश दिये जाते हैं कि उनके द्वारा जो परिपत्र जारी किया गया है, उसे तत्काल वापस लिया जावे और अब सभी संस्थाओं को यह निर्देश दिये जावें कि उनके यहॉ सूचना का अधिकार का आवेदन प्राप्त होने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जानकारी देने के संबंध में कार्यवाही की जावे । साथ ही वर्तमान प्रकरण में भी अनावेदक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, राजनांदगांव को यह निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदक को अब 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क जानकारी प्रदान की करें । चूंकि प्रकरण में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं हैं, अतः शास्ति की कार्यवाही किया जाना आवश्यक नहीं है, किन्तु विलंब के कारण शिकायतकर्ता को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत बैंक की ओर से राशि 200/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में शिकायकर्ता को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त शिकायत प्रकरण का निराकरण किया जाता है ।

(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com